3/A

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2016/श्रावण 13, 1938
No. 08] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2016/SRAVANA 13, 1938

रक्षा मंत्रालय

लोक सूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2016

का.नि.आ. 9(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की उपधारा (2) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रतिनियुक्त विभिन्न अधिकारियों द्वारा छावनियों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट के प्ररूप को निर्धारित करने और छावनी (छावनियों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट का प्ररूप) नियम, 1976 को बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 346 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम, पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख, जिस को इस भारत के राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है कि प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त किसी भी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि हो, को निदेशक (भूमि एवं छावनी) रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकेगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (छावनियों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट का प्ररूप) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम भारत की सभी छावनियों में लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ -

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है।

(ख) "प्रधान निदेशक" से अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रयोजन के लिए प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा, कमान के कर्त्तव्यों के पालन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।

(ग) "महानिदेशक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक, रक्षा संपदा अभिप्रेत हैं और इसमें ज्येष्ठ अपर महानिदेशक, अपर महानिदेशक शामिल हैं।

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबंध प्ररूप अभिप्रेत है।

3. **रिपोर्ट का प्ररूप**—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 52 के अधीन प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा प्रत्येक छावनी के मामले में उपाबंध प्ररूप में एक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक या कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ या कमान के प्रधान निदेशक को दी जाएगी।

4. अनुवर्ती कार्रवाई—जहाँ भी रिपोर्ट कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ या प्रधान निदेशक द्वारा प्राप्त की जाती है, वह निरीक्षण अधिकारी की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा और केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा जारी सभी आदेशों का पालन करेगा।

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 52 के तहत छावनी प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

1. पिछली निरीक्षण रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

2. वित्त

(क) आय

अवधि	स्थानीय स्रोत	अंशदान	जमा	कुल
(i) पिछले वर्ष				
(ii) पिछले वर्ष से पूर्व				
(iii) इससे पूर्व तीन वर्ष का औसत				
(iv) चालू वर्ष के लिए प्राक्कलन				

(ख) साधारण सहायता अनुदान
(पिछले तीन वर्ष के लिए पृथक रूप से)

(ग) विशेष सहायता अनुदान
(पिछले तीन वर्ष के लिए पृथक रूप से)

(घ) सेवा प्रभार
(पिछले तीन वर्ष के लिए पृथक रूप से)